बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि 12 जनवरी, 1979

विषय-सूची

	पृष्ठ
गैर-सरकारी संकल्प :	
(क) राज्य के 'लॉ ऐंड आर्डर' की स्थिति पर वाद-विवाद (अस्वीकृत)	1—11
(ख) पलामू जिला में वाटर टावर द्वारा जलापूर्त्ति (वापस) ..	12—14
श्री रामानन्द तिवारी के अनशन से उद्भूत स्थिति	14—24
शोक प्रकाश :	
बिहार विधान-सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विश्वनाथ राय की निर्मम हत्या पर शोकोद्गार।	24—28
दैनिक निबंध	29-30

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिये गये हैं।

श्री कृष्ण कांत सिंह—आप सब जब कह ही रहे हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है, तो आप सरकार को बदल दीजिए।

श्री रामप्रीत पासवान—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय वयोवृद्ध नेता, श्री रामानन्द तिवारी प्रशासन पर अफसरशाही के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।

उपाध्यक्ष—यह प्वायंट ऑफ ऑर्डर कहां हुआ?

श्री रामप्रीत पासवान—उपाध्यक्ष महोदय, पटना के म्युनिसिपल कारपोरेशन के प्रशासक, श्री पंचम लाल का ट्रांसफर 6 महीने के अंदर कर दिया गया है। सरकार अपनी दुहाई देती है और उनकी बदली कर दी गयी है क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है?

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये।)

श्री राजो सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का कुछ काम नहीं हो रहा है, सदन को समाप्त कीजिए।

श्री दीनबंधु प्रसाद यादव—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा श्री रामानन्द तिवारी जी के बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी है। दूसरी तरफ श्री कैलाशपति मिश्र जी ने जो निर्णय लिया है वह निश्चित नहीं है। माननीय सदस्यों की चिंता को देखते हुए और सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि आसन एक स्पष्ट निर्णय दे कि सदन चले या नहीं चले। मैं आसन से निर्णय चाहूंगा कि निदेश दे। इस तरह सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं किया जाय। सदन चलावें या स्थगित कर दें। (शोरगुल)

उपाध्यक्ष—(खड़ा होकर) शांति, शांति। व्यवस्था का प्रश्न उठाकर श्री दीनबंधु प्रसाद यादव ने यह जानना चाहा है कि जब माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और जब सरकार की तरफ से श्री कैलाशपति मिश्र ने कहा कि हम इसका निराकरण कर रहे हैं, तब आसन अपना निर्णय दे। सदन में अभी भी बहुत पुराने-पुराने सदस्य हैं। कोई 1946 से हैं, कोई 1952 से हैं, कोई 1957 से हैं। 25—30 वर्षों के अनुभव के कई पुराने सदस्य हैं। आसन की तरफ से हमने बराबर कहा कि जो विषय यहां उठाया गया है उसकी अहमियत के साथ हम हैं और सरकार की तरफ से जो वक्तव्य हुआ है उसकी भी अहमियत को मैंने स्वीकार किया है। अब फर्क इतना ही हो रहा है कि श्री कैलाशपति मिश्र ने कहा कि शाम तक इसका निराकरण होगा। माननीय सदस्यों का कहना है कि इसका सत्र के चलते में ही निराकरण हो जाय। मैं माननीय सदस्य, श्री परमेश्वर कुंअर, श्री मुन्द्रिका सिंह, श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि आसन इसमें आपका कैसे

सहायता कर सकता है? विधान-सभा के भीतर में कुछ बातें होती हों तो हम आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं भीतर में कोई प्रक्रियात्मक बाधा हो तो उसे दूर कर सकते हैं, किसी के प्रति अन्याय होता हो तो उसका संरक्षण दे सकते हैं। लेकिन सदन के बाहर अध्यक्ष का क्या अधिकार होता है यह आप सब जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप हमको यह बता दीजिये कि हम आपकी क्या सहायता करें। जो कहियेगा वह हम करेंगे।

श्री विश्वनाथ मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि बिना कार्यक्रम में रखे श्री रामानन्द तिवारी जी का मामला काफी देर से सदन में उठ रहा है। माननीय सदस्यों की जो चिंता है उसको देखते हुए समय रहते उसका कारगर उपाय आपकी सहमति से होना चाहिए। मेरी राय यह है कि अब सदन का ज्यादा समय जाया नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय जाया न हो इसलिये मेरा दर्खास्त है। जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें सर्वसम्मति से यह तय हुआ था और मिश्रजी को अधिकार दिया गया था। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कह रहा हूं। आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाने की बात रखता हूं। सरकार इस बात पर सहमत हो जाय, मुख्य मंत्री सहमत हों या वित्त मंत्री जिनको अधिकार दिया गया है अध्यक्ष महोदय से राय-सलाह कर शाम तक निश्चित समाधान इसका निकाल लें। सदन के नेता और अध्यक्ष महोदय पर सदन को भरोसा है इसलिये इस विषय पर आप आश्वासन दें कि सदन के नेता या वित्त मंत्री जिनको अधिकार दिया गया है और स्पीकर साहब मिलकर राय-मशविरा कर लेंगे और कोई-न-कोई समाधान निकाल लेंगे।

उपाध्यक्ष—श्री युगल सिंह अपना गैर-सरकारी संकल्प मूभ करेंगे।

(श्री युगल सिंह, स०वि०स० सदन में नहीं थे।)

श्री राम रतन सिंह—उसके बाद मेरा नाम है।

श्री अखलाक अहमद—कुछ जवाब आये तो जरा। तीन दिन से सदन में यह प्रश्न उठाया जा रहा है। अभी माननीय मोदीजी ने जो सुझाव दिया उससे आप सहमत हैं या नहीं?

उपाध्यक्ष—चेयर से सहमति नहीं होती है, सरकार कुछ कहे तब न?

श्री अखलाक अहमद—तीन दिन से इस विषय को लेकर सदन का समय जाया हो रहा है। आखिर सदन का बहुमूल्य समय क्यों जाया हो रहा है, दो-तीन दिनों से हमलोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है?

श्री कृष्ण कांत सिंह—इन्हीं लोगों के लिये तो हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखवाया